

FORM No. III

APP.A
Grim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपरोक्त अधिका

मुकाम

सुजातगढ़

पुरुषोत्तम

बनाम

धामल

किस्म

प्रा.पत्र अध्याई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं०

83/सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/10/19	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र पेश किया गया / सॉरिटा से रिपोर्ट ले चुकी है / प्रा.पत्र रजिस्टर्ड किया जावे / अप्रार्थी गण के अधिपति सम्पत्त नोटिफ से ले लक किया जावे /</p> <p>वकील प्रार्थी की एक तरफा बेटस सुनी गई। बाद सुनवाई अप्रार्थीगण को अधिपति अध्याई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि ग्राम भोजा धातरी त. सुजातगढ़ जिला चूक की जमाबंदी संवत् 2073-2074 के कादगत खेत. ख. नं. 13 खंका 5.7707 हेबेटल, ख. नं. 153 खंका 4.8809 हेबेटल, ख. नं. 19 खंका 5.6776 हेबेटल, ख. नं. 230 खंका 2.9589 हेबेटल, ख. नं. 232 खंका 1.9346 हेबेटल कुल 5 दिना खेत कुल खंका 21.2307 हेबेटल काफे रोधी ग्राम भोजा धातरी त. सुजातगढ़ जिला चूक में स्थित कादगत भूमि का आगामी पेगी तक अप्रार्थी सं. 01 कादगत भूमि में स्वयं के नाम रजिस्टर्ड रिजर्ड में रजि भूमि को के-चात नही करें / यदि इसमें कोई आपत्ति होती दिनाद 5/12/19 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें / 2019</p>	
20/11/19	<p>पत्रावली आज पेगी में ली गयी वाडी न काद पत्र को किरा कर लिखली काद पत्र खरिज होने के बाद पार्थन</p>	<p>प्रार्थी</p> <p>अध्याई</p>

